भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1585
12 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

अंतर्देशीय मात्स्यिकी

1585. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवाओं को रोजगार प्रदान करने, रोजगार सृजन करने और जलकृषि करने वाले किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उप-क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम अथवा जागरूकता अभियान जैसी कोई पहल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का उद्देश्य *अन्य बातों के साथ-साथ* मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में मुख्य रूप से जलीय कृषि के विस्तार, गहनता और प्रजातियों के विविधीकरण के लिए सहायता प्रदान करना, उच्च उपज देने वाली प्रजातियों की शुरूआत, री-सर्कुलेटरी एक्काकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायोफ्लॉक और केज कल्चर जैसी प्रौद्योगिकी का समावेशन शामिल है । गुणवत्तापूर्ण ब्रूड बैंकों, हैचरी, बीज पालन इकाइयों, मत्स्य रोग और मत्स्य फार्मों का जल गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण फ़ीड की सप्लाइ, मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और रोग मुक्त मत्स्य बीज की आपूर्ति पर भी जोर दिया गया है । पीएमएमएसवाई के तहत, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2022-23) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान, 7263.67 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के लिए रोजगार अवसर और आय का सृजन करना है ।

पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों विशेषकर मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य श्रमिकों, मत्स्य विक्रेताओं, उद्यमियों, अधिकारियों, मत्स्यपालकों, सहकारी समितियों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों के लिए विभिन्न मत्स्यन तकनीकों, जलीय कृषि और पोस्ट हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और एक्सपोजर दौरों के माध्यम से प्रशिक्षण, कौशल विकास, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्राप्त सहायता के साथ राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज और मात्स्यिकी अनुसंधान स्टेशनों के सहयोग से प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण कार्यक्रम करवाए जाते हैं ।

****